न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पवन बनाम श्रीनारायण मु.नं.- 01/25 किस्म - स्टे	
	प्रा.पत्र स्टे दिनांक 12.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
12.6.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.6.25 को पेश हो।	
17.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र स्टे पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। प्रा.पत्र स्टे का, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्टे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश दिया जाता है कि आप महुखुर्द तहसील बैजूपाडा में स्थित खसरा सं. 251 के सम्बंध में इस न्यायालय के द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.6.2024 के उपरान्त अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा सं. 251 के मौके की स्थिति में किये गये बदलाव को समाप्त करें तथा खसरा सं. 251 के मौके को दिनांक 06.6.2024 की स्थिति को बहाल (Restore) करें। तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2025	03.01.2025	17.06.2025

बउनवान

1. पवन कुमार पुत्र श्री सुखराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र श्री सुखराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. मोहनलाल पुत्र श्री सुखराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. श्रीमती गुल्ली पत्नी श्री सुखराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2–क ब्रीच सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–क सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक बउनवानी दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था एवं उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा सं. 32/2024 का भी प्रस्तुत किया था जिसमें इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2024 द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया गया था कि ग्राम महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित भूमि खाता सं. 78 के खसरा सं. 105, 106, 246, 247, 251, 257, 258, 473/103, 473/104, 475/44, 476/51, 477/73, 478/74, 479/81 कुल किता 14 कुल रकबा 4.48 हैक्टे. भूमि के मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये। उक्त प्रार्थना पत्र में नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुके हैं। न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.06.2024 का पता होने के बाजजूद भी अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में तार फैन्सिग पोल व बीच खेत में होकर रास्ता निकाल कर कंकरीट डाल दिया है। न्यायालय के उक्त आदेश के पश्चात प्रार्थी दिनांक 08.08.2024 को सुबह करीब 8 बजे अपनी खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 251 में फसल की देखभाल करने गया तो वहां पर सभी अप्रार्थीगण अपने हाथो में लाठी डण्डे लेकर आ गये व आते ही प्रार्थी पवन कुमार से ऐलानिया कहने लगे कि हम इस आराजी में होकर जबरदस्ती रास्ता निकालेगें, तुम यहां से चुपचाप भाग जाओ वरना हम तुम्हे जान से खत्म कर देगें। तब प्रार्थी पवन कुमार ने हाथ जोडकर उनसे कहा कि भाई आपको आने जाने के लिये पूर्वजों के समय से ही खसरा नंबर 251 में से मेरे मकान के उत्तर की तरफ से होकर रास्ता छोड रखा है, आप अपने मकान तक उसी में होकर आ जा रहे हो और यदि आप पक्का रास्ता चाहते हो तो उसी रास्ते में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

होकर पक्का रास्ता बना सकते हो लेकिन प्रतिवादीगण बेईमानीपूर्वक प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 251 के मध्य में होकर रास्ता निकालने पर अडिग हैं तथा जबरन कब्जा करना चाहते हैं एवं इस जमीन पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर द्वारा दिनांक 18.06.2024 को स्थगन आदेश पारित करते हुए आप लोगों को पाबन्द किया गया है। फिर भी आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो तो इस पर अप्रार्थीगण एकदम से नाराज हो गये व प्रार्थी से ऐलानिया कहा कि हम किसी भी न्यायालय का आदेश नहीं मानते हैं। यहां पर केवल हमारा आदेश चलता है। हमारे लट्ठ में ताकत है कोई भी कोर्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है तथा प्रार्थी को बड़ी मुश्किल से आसपास के लोगों ने बचाया। उसी दिन दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के नाम एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर द्वारा थानाधिकारी बैजूपाडा तथा तहसीलदार बैजूपाडा को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने के आदेश फरमाये थे लेकिन उक्त आदेशों की पालना थानाधिकारी बैजूपाडा व तहसीलदार बैजूपाडा ने आज दिनांक तक नहीं करवायी। बार बार आदेश की पालना की बात कहकर टाल देते हैं। न्यायालय के आदेश की पालना में, दिनांक 27.06.2024 को तहसीलदार बैजूपाडा ग्राम महुखुर्द के विवादित खसरा नंबर 251 के मौके पर पहुंचा और पटवार हल्का द्वारा मौका पर्चा महुखुर्द तैयार किया जिसमें अप्रार्थीगण को 03.06.2024 को पटवारी द्वारा यथास्थिति के लिये पाबन्द करने के बाद भी उक्त खसरे को तीन भागों मे अपनी मर्जी से विभाजित कर तार फेंसिंग, पोल व बीच खेत मे होकर रास्ता निकालकर कंकरीट डालकर तार फेंसिंग कर पाबन्दी की अवहेलना की गयी। दिनांक 14.06.2024 को भी मौके पर जाकर गैरसायलान को उपखण्ड अधिकारी मण्डावर के स्थगन आदेश की जानकारी दी व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया तथा दिनांक 27.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के मौखिक आदेश की पालना में मौके पर गया मौके देखा कि विवादित खसरा नंबर 251 पर गैरसायलान श्रीनारायण मीना द्वारा दिनांक 26.06.2024 को बाजरा की फसल बो दिया गया जो कि पूर्व में हुये न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना है। गैरसायलान ने हस्ताक्षर नहीं किये। तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा लेटर द्वारा भी मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नहीं माने और जबरदस्ती खसरा नंबर 251 में होकर रोड निकाल दिया जिससे प्रार्थी को भारी आघात पहुंचा है तथा कानून की तोहीन हुई है। इस प्रकार आदेशों की बार बार अवहेलना की जा रही है। अप्रार्थीगण को दिनांक 03.06.2024 को न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय बैजूपाडा से धारा 107, 116(3) जा.फो. के तहत पाबन्द करवाया लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण जानबूझकर लट्ठ के बल पर प्रार्थी को उसकी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 251 में होकर रास्ता निकालने पर आमादा है। न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2024 द्वारा अप्रार्थीगण के पाबन्द होने के बावजूद अप्रार्थीगण ने अपनी दादागिरी से प्रार्थी की भूमि मे होकर रास्ता निकाल दिया है। इस प्रकार बार बार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना होने से प्रार्थी व आमजन का न्याय और कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिये न्याय की प्रति स्थापना के लिये अप्रार्थीगण को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुये चल अचल सम्पत्ति को जप्त करते हुये राजकोष में समाहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय द्वारा अपने स्थगन आदेश दिनांक 18.06.2024 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया गया है। इसलिये न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण ने एक राय होकर जानबूझकर न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2024 की अवमानना की है एवं प्रार्थी के खसरा नंबर 251 के मध्य मे होकर रोड बना लिया है जिस तथ्य को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के आधार पर साबित किया जावेगा। इसलिये सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही लागू होती है। अतः प्रार्थना पत्र ब्रीच प्रस्तुत कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण श्रीनारायण पुत्र श्री सुखराम, मोहनलाल पुत्र सुखराम, श्रीमती गुल्ली पत्नी सुखराम को न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 18.06.2024 की अवमानना करने के आपराध में तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुये उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति को जप्त करते हुऐ अप्रार्थीगण को जेल भिजवाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें तथा श्रीमान के आदेश दिनांक 18.06.2024 की पालना करवाये जाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र बाबत ब्रीच को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 व 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये।

3. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के आदेशों के बाद किसी भी प्रकार की कोई तार फैसिंग पोल व बीच खेत में होकर रास्ता नही निकाला है, न ही कोई नवीन कंकरीट आदि ही डाला गया है। प्रार्थी के द्वारा सभी तथ्य गलत बनावटी व असत्य दर्ज किये गये है। उक्त तार फैन्सिग पोल एवम रास्ता जो कि अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान सैकडो सालो से कायम है। मिन विपक्षी के द्वारा न्यायालय हाजा के कोई आदेश की अवमानना नही की है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। एक तरफ से प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित किया है कि अप्रार्थी/विपक्षी ने तार फैसिंग पोल लगा दिये है व रास्ता निकालकर कंकरीट डाल लिये है। एक ओर प्रार्थी अपने पैरा हाजा में दिनांक 08.08.2024 की झूठी घटना बता रहा है कि विपक्षी रास्ता निकालने पर आमादा हो रहे है जबकि मौके पर रास्ता अर्से दराज से कायम है। सारे तथ्य गलत, बनावटी व असत्य न्यायालय हाजा को गुमराह करने के आशय से दर्ज किये है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय के आदेश के उपरान्त मिन विपक्षी के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आदेश की अवहेलना नहीं की है तथा तहसीलदार बैजूपाडा एवं हल्का पटवारी के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कही भी यह दर्ज नहीं किया गया है कि उक्त फैसिंग तार व पोल व रास्ता नवीन निर्माण किये गये है। इससे साफ है कि उक्त तार फैसिंग व रास्ता पूर्व से ही कायम है। तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष गलत व कतई झूठे तथ्यो के आधारो पर आधारहीन इस्तगासा पाबंदी का पेश किया गया जिसके बाद भी मिन विपक्षी के द्वारा किसी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं की है, न ही पूर्व में शांति भंग की गई थी। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पोषनीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 18.06.2024 को मिन विपक्षी के द्वारा न्यायालय के आदेशो की कोई अवमानना नही की है। प्रार्थी ने बिना कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुये ही प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। मिन विपक्षी जो कि भूमि विवादित का खातेदार काश्तकार है, जिसके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायहित में एवम इंसाफ खातेदार के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विपक्षी के द्वारा न्यायालय के आदेशो के बाद किसी भी प्रकार की कोई तार फैसिंग पोल व बीच खेत में होकर रास्ता नही निकाला है, न ही कोई नवीन कंकरीट आदि ही डाला गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत वनावटी व असत्य दर्ज किये गये है। उक्त तार फैन्सिग पोल एवम रास्ता जो कि अर्से दराज से कायम है, मिन विपक्षी के द्वारा न्यायालय हाजा के कोई आदेश की अवमानना नहीं की है। प्रार्थी के द्वारा भूमि की बाबत किसी भी रेवेन्यु अधिकारी से मौका रिपोर्ट नही बनवायी गयी है, न ही प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

4. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थी ने ब्रीच प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जिरह के दौरान प्रार्थी ने कथन किया कि दिनांक 06.06.2024 को स्थगन आदेश न्यायालय की ओर से जारी हुए। अभी उक्त भूमि का विधिक तकास्मा नहीं हुआ है। मेरा मकान 251 में बना हुआ है व अप्रार्थी का मकान खसरा सं. 247 में बना हुआ है। यह बात सही है कि खसरा सं. 251 रोड का खेत है। यह कहना गलत है कि इस खसरा सं. 251 का हमने बॅटवारा कर रखा हो। दिनांक 14.06.2024 को श्रीनारायण को स्थगन आदेश की जानकारी हो गयी थी। पहले से कोई रास्ता नहीं बना है। यह सही है कि मुझे जानकारी नहीं है कि किस तारीख को अप्रार्थी द्वारा कंकरीट व तारी फिनिसिंग की। मैंने कोई झूठा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है।

5. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब ब्रीच प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें जवाब ब्रीच प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जिरह के दौरान अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया कि हमारे पवन बनाम श्रीनारायण के नाम से मुकदमा उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन है जो कि जमीन बॅटवारा का है। मुकदमा में कोर्ट ने कोई स्टे दे रखा है, मेरी जानकारी में नहीं है। बोओ, खाओ, मौज करो कि जानकारी है। स्टे के बाद भी आधा काम किया है जबकि आधा काम स्टे से पूर्व किया है। पोल गाडे व कंकरीट डालकर रोड बनाया। पटवारी ने मना किया कि कोर्ट का स्टे है, काम नहीं करना। आधा कार्य उससे पहले व आधा कार्य उसके बाद में किया। पुलिस द्वारा भी कोर्ट का स्टे होने पर हमें पाबंद किया गया। पवन ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा पेश किया जिसका चालान हमारे खिलाफ हुआ। कोर्ट का आदेश मानना पडता है। दुबारा पटवारी ने कार्य न करने को पाबंद किया लेकिन हमने पूरा कार्य कर दिया। हम तो हटा लेंगे रोड व पिलर को यदि हमें रास्ता मिल जावे। जो दण्ड मिलेगा, उसे स्वीकार करेंगे।

6. ब्रीच प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने ब्रीच प्रार्थना पत्र एवं जबाव ब्रीच प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम (ब्रीच) के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2 क में प्रावधान है कि:

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2–क. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम – (1) नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिये गये किसी व्यादेश या किये गये अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनों पर व्यादेश किया गया था या आदेश किया गया था उनमें से किसी निबन्धन के भंग होने की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अन्तरित की गयी है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जाये और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाये जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निदेश न दे दे।

(2) इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा।)

7. इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बउनवान पवन कुमार बनाम श्रीनारायण वगे. (प्रार्थना पत्र सं. 32/24) में इस न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम महुखुर्द, तहसील बैजूपाड़ा में स्थित खसरा सं. 105, 106, 246, 247, 251, 257, 258, 473/103, 473/104, 475/44, 476/51, 477/73, 478/74, 479/81 की मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

8. तहसीलदार बैजूपाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 में लिखा है कि उनके कार्यालय से पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 के अनुसार, पटवारी के द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 03.06.2024 तथा 14.06.2024 को पाबन्द किया गया था जिसमें न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होना पाया गया था। तहसीलदार बैजूपाड़ा की पूर्व की रिपोर्ट दिनांक 28.08.2024 के अनुसार, मुक़दमा सं. 32/24 में स्थगन आदेश होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त आया हुआ खसरा सं. 251 में प्रतिवादियों के द्वारा तीन हिस्सा कर रास्ता निकाला गया है जो कि स्थगन आदेशों की अवहेलना किया जाना पाया गया।

9. थानाधिकारी बैजूपाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 14.04.2025 में लिखा है कि परिवादी पवन कुमार मीना पुत्र सुखराम मीना, निवासी महुखुर्द द्वारा एसडीएम कार्यालय मे उपस्थित होकर एक परिवाद पेश किया कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिसमे श्रीमान द्वारा ग्राम महुखुर्द के खाता सं. 78 खसरा नं. कुल किता 14 रकवा 4.48 हेक्टेयर के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 06.06.2024 को फरमाये गये थे लेकिन उसके बावजूद भी गैरसायल श्रीनारायण के द्वारा उक्त खसरा नं. 251 मे सडक निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा गैरसायल से मना करने पर तथा न्यायालय के आदेश की पालना करने की कहने पर भी गैरसायल जबरदस्ती लटठ के बल पर श्रीमान के आदेश की अवहेलना करके कार्य कर रहा है इत्यादि। उक्त परिवाद की जांच श्री गोवर्धनलाल हैड कांनि. द्वारा की गयी। दौराने जांच परिवादी श्री पवन कुमार मीना, कमल कुमार मीना, विनोद कुमार मीना के लिये गये। मौका स्थिति देखी गयी। पटवारी हल्का ग्राम महुखुर्द द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

03.06.2024, 14.06.2024, 27.06.2024, 21.07.2024 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर वाद अवलोकन शामिल जांच की गयी तथा थाना हाजा पर पूर्व मे बीट कानि. श्री लालाराम कानि. द्वारा दिनांक 03.06.2024 को अपरिवादी पक्ष श्रीनारायण मीना, दिनेश मीना, महेश मीना, सुरेश मीना को धारा 107–116 (3) Cr.P.C मे पाबन्द कराया जा चुका है तथा दिनांक 03.07.2024 को अपरिवादी श्रीनारायण मीना को धारा 126–170 BNSS मे गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर पाबंद कराया जा चुका है। दोनो इस्तगासो की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल जांच की गयी। दौराने जांच से ये तथ्य सामने आये हैं कि विवादित भूमि खाता सं. 78 खसरा नं. कुल किता 14 रकवा 4.48 हेक्टेयर मे एसडीएम मंडावर द्वारा दिनांक 06.06.2024 को वर्तमान मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्टे आदेश फरमाये गये थे। अपरिवादी श्रीनारायण मीना द्वारा व उसके परिवारजन द्वारा दिनांक 16–17.07.2024 की रात्रि को चोरी छिपे उक्त विवादित स्टे भूमि मे मोरम डालकर रास्ता बना लिया गया था। अपरिवादी पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय के स्टे आदेश की अवहेलना की गयी।

10. तहसीलदार बैजूपाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 व थानाधिकारी बैजूपाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2025 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2024 की अवहेलना की गई है। इसलिए स्थगन आदेश अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के उपरान्त खसरा सं. 105, 106, 246, 247, 251, 257, 258, 473/103, 473/104, 475/44, 476/51, 477/73, 478/74, 479/81 के मौके की स्थिति में जो बदलाव अप्रार्थीगण के द्वारा किया गया है, उसको पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

11. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–क सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बैजूपाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम महुखुर्द, तहसील बैजूपाड़ा में स्थित खसरा सं. 251 के सम्बन्ध में इस न्यायालय के द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2024 के उपरान्त अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा सं. 251 के मौके की स्थिति में किये गये बदलाव को समाप्त करें तथा खसरा सं. 251 के मौके की दिनांक 06.06.2024 की स्थिति को बहाल (Restore) करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)